Office of the District Basic Education Officer
BARABANKI

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that MRG ACADEMY ,BHADRAS BARABANKI is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to MRG ACADEMY is 303-14.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	30-03-2024(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Pre-Primary School and Primary School
5.Recognition No.	303-14

DATE:- 30-03-2024

PLACE:- BARABANKI

District Basic Education Officer

Digitally Signed By Santosh Kumar Deo Pandey
Date: 2024.03.30 13:43:44
Reason: For Digital Signature
Location: BARABANKI

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बाराबंकी

आदेश संख्या/मान्यता/ 3०3-14 /2021-22/ दिनांक- 05/04/2022

प्रबंधक,
एम0आर0जी0 एकाडेमी,
भदरास,निन्दूरा, बाराबंकी।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं शासनादेश संख्याः 89/अरसठ-3-2018-2014/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शिक्षा निदेशक बेसिक के पत्र संख्या-शि0नि0(बे0) 76467-825/2018-19 दिनांक 24 जनवरी 2019 में निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.03.2022 को लिए गए निर्णय के आधार पर शासनादेश में निहित शर्तो/मानक के अनुसार होने पर **एम0आर0जी0 एकाडेमी,भदरास,निन्दूरा, बाराबंकी (मान्यता सं0- BAR0946763785)**को कक्षा-01 से 05 तक सत्र 2022-23 से आगामी एक शैक्षिक सत्र(31.03.2022 से 31.03.2023 तक) हेतु प्राथमिक स्तर तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने कि संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के (या यथास्थिति कक्षाओं में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जाएगा।
4. प्रस्तर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से एक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. समिति/विद्यालय कोई व्यक्ति संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–

(i) बालक का आयु प्रमाण–पत्र न होने पर।

(ii) धर्म, जाति अथवा नस्ल जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

(iii) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(iv) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(v) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(vi) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vii) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे। तथा टीईटी प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था पूर्ण कर लेंगे।

(viii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है,

(ix) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या सगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकांउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यां **BAR0946763785** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता हैं, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. विद्यालय प्रबंन्ध / न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18. संलग्न उपबन्ध 3 के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

19. विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें।

भवदीय

3/4/2022

(राजेश कुमार वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी।

पृ0सं0/मान्यता/ /2021–22/दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 जखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
3– सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज।
4– सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या, मण्डल अयोध्या।
5– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गनेशपुर, बाराबंकी।
6– जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
7– जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
8– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
9– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
10–सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
11–जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
12–कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी

Office of the District Basic Education Officer
BARABANKI

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that MRG ACADEMY ,BHADRAS BARABANKI is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to MRG ACADEMY is BAR09465927675.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	Valid From:01-04-2024To:01-04-2025(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	New
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	BAR09465927675

DATE:- 01-04-2024

PLACE:- BARABANKI

District Basic Education Officer

Digitally signed by SANTOSH KUMAR DEO PA
Date: 2024.04.01 16:14:08
Reason: For Digital Signature
Location: BARABANKI

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बाराबंकी

आदेश संख्या/मान्यता/ 303-15 /2021-22/ दिनांक- 06/04/2022

प्रबंधक,
एम0आर0जी0 एकाडेमी,
भदरास,निन्दूरा, बाराबंकी।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं शासनादेश संख्याः 89/अरसठ-3-2018-2014/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शिक्षा निदेशक बेसिक की संख्या-शि0नि0(बे0) 76467-825/2018-19 दिनांक 24 जनवरी 2019 में निर्देष्ट निर्देशों का अनुपालन प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.03.2022 को लिए गए निर्णय के अनुसार शासनादेश में निहित शर्तों/मानक के अनुसार होने पर एम0आर0जी0 एकाडेमी,भदरास,निन्दूरा, बाराबंकी (मान्यता सं0- BAR0946763785)को कक्षा-01 से 05 तक सत्र 2022-23 से आगामी एक शैक्षिक सत्र (01.04.2022 से 31.03.2023 तक) हेतु प्राथमिक स्तर तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करता/करती हूँ/देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में [illegible] मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विधिक्षेत नहीं बनाता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के [illegible] कक्षाओं में [illegible] की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्ग और [illegible] को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा [illegible] उपलब्ध कराएगा। परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा [illegible] पालन किया जाएगा।
4. प्रस्तर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 [illegible] अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जाएगी। [illegible] के लिए विद्यालय अलग से एक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. समिति/विद्यालय कोई व्यक्ति संग्रह नहीं करेगा और [illegible] को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश [illegible] करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय [illegible] सुनिश्चित करेगा ।

प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–

(i) बालक का आयु प्रमाण–पत्र न होने पर।

(ii) धर्म, जाति अथवा नस्ल जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

(iii) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(iv) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(v) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित प्रपत्र अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(vi) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vii) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे तथा टीईटी प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था पूर्ण कर लेंगे।

(viii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(ix) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं व अनुमोदित संख्या के अनुसार ही करेगा। अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानदंडों को बनाए रखेगा।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त निजी ट्यूशन नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का केवल शिक्षा–संबंधित का प्रयोग केवल शिक्षा और शैक्षणिक विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन या रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसे इस प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता बोर्ड संख्या UAR0946763785 का उल्लेख करें लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशालय बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. विद्यालय प्रबंध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किए गए का अनुपालन करेगा।

18. संलग्न उपबन्ध 3 के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

...लय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाय, तथा यदि कोई ...
...ोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी ...
जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगे।

भवदीय

14/2022

(राजेश कुमार वर्मा)
जिला परि. शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी।

पृ0सं0/मान्यता/ /2021-22/दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 जखनऊ।
2- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
3- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या, मण्डल अयोध्या।
5- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गनेशपुर, बाराबंकी।
6- जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
7- जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
8- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
9- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
10- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
11- जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
12- कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी